भाग-I

वित्त एवं राजस्व विभाग

अध्याय-I

सामान्य

अध्याय-I

सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों की राजस्व प्राप्तियों के रूझान, राजस्व बकाये का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया आदि का एक विहंगावलोकन प्रदर्शित करता है।

1.2 प्राप्तियों का रूझान

1.2.1 वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उदग्रहीत कर एवं करेत्तर राजस्व, राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **तालिका-1.1** में दर्शाये गये हैं।

तालिका-1.1
राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	1,20,121.86	1,22,825.83	1,19,897.30	1,47,367.74	1,74,087.15
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**23.34**	**2.25**	**(-) 2.38**	**22.91**	**18.13**
	• करेत्तर राजस्व	30,100.71	81,705.08	11,846.15	11,435.97	13,489.46
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**52.06**	**171.44**	**(-) 85.50**	**(-) 3.46**	**17.96**
	योग	**1,50,222.57**	**2,04,530.91**	**1,31,743.45**	**1,58,803.71**	**1,87,576.61**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	1,36,766.46	1,17,818.30	1,06,687.01	1,60,358.05	1,69,745.30[1]
	• सहायता अनुदान	42,988.48	44,043.97	57,745.87	51,849.68	59,919.59[2]
	योग	**1,79,754.94**	**1,61,862.27**	**1,64,432.88**	**2,12,207.73**	**2,29,664.89**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**3,29,977.51**	**3,66,393.18**	**2,96,176.33**	**3,71,011.44**	**4,17,241.50**
4	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**46**	**56**	**44**	**43**	**45**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

---

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण-14 देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में 'ए-कर राजस्व' के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष 0005-केन्द्रीय माल एवं सेवाकर, 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय उत्पाद शुल्क, 0044-सेवा कर, 0045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, एवं लघुशीर्ष 901-राज्यों के समुदेशित शुद्ध प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़ों को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों एवं शुल्क में राज्य के अंश में सम्मिलित किया गया है।

[2] माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिये ₹ 11,290.98 करोड़ की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है।

उपर्युक्त तालिका यह इंगित करती है कि राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये राजस्व में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में 18.12 प्रतिशत की वृद्धि रही थी। राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये राजस्व का अंश वर्ष 2022-23 में 45 प्रतिशत था, जबकि विगत वर्ष के दौरान यह 43 प्रतिशत था।

वर्ष 2022-23 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों का घटकवार विवरण प्रतिशतता के रूप में **चार्ट-1.1** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट-1.1

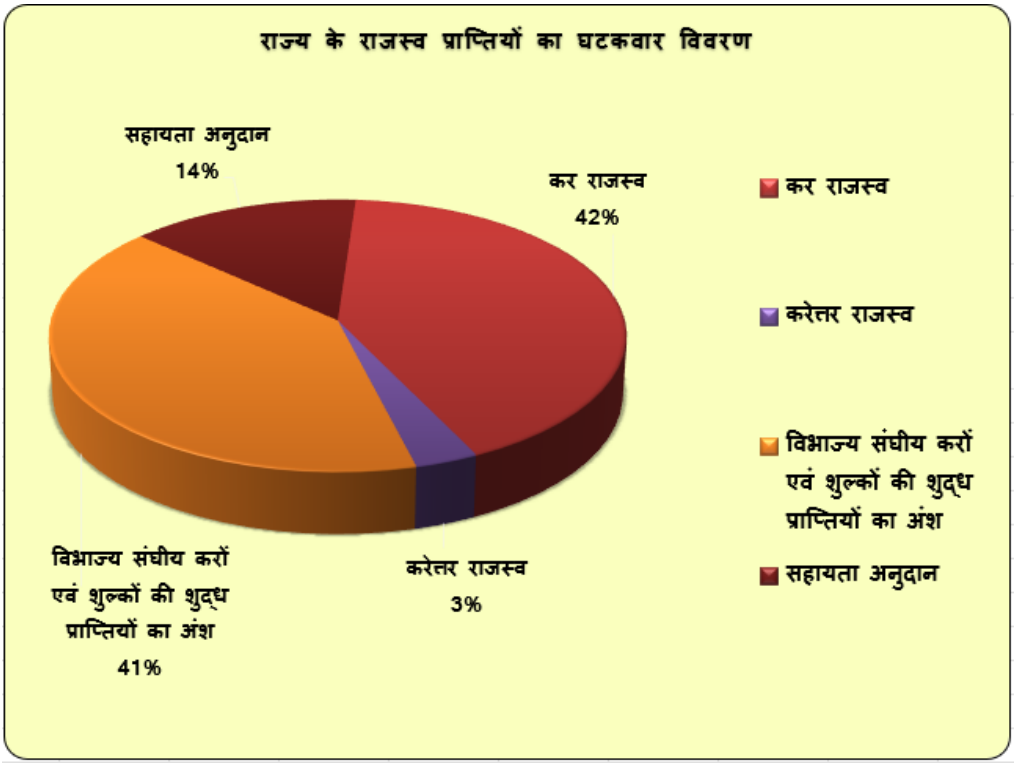

1.2.2 वर्ष 2018.19 से 2022.23 की अवधि में कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	वर्ष 2022-23 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की सापेक्षिक प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	2022-23 का बजट अनुमान	2021-22 का वास्तविक
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	22,078.00 23,797.84	24,660.00 20,517.13	28,287.00 22,127.06	31,100.00 27,058.17	36,212.74 31,979.17	(-)11.69	(+)18.19
	राज्य माल एवं सेवा कर	49,422.00 46,108.03	52,980.10 47,232.41	63,281.00 42,860.03	73,285.00 54,594.12	88,264.31 64,140.91	(-)27.33	(+)17.49

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	वर्ष 2022-23 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की सापेक्षिक प्रतिशतता	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	2022-23 का बजट अनुमान	2021-22 का वास्तविक
2	राज्य आबकारी	23,000.00 23,926.66	31,517.41 27,324.76	37,500.00 30,061.21	41,500.00 36,319.63	49,152.46 41,252.71	(-)16.07	(+)13.58
3	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	18,000.00 15,733.03	19,179.07 16,069.80	23,197.00 16,475.24	25,500.00 20,048.25	29,692.12 24,843.70	(-)16.33	(+)23.92
4	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	7,400.00 6,930.02	7,863.42 7,714.88	8,650.00 6,482.65	9,350.00 7,775.82	10,887.11 9,059.49	(-)16.79	(+)16.51
5	अन्य[3]	2,800.00 3,626.28	3,976.00 3,966.85	5,106.00 1,891.11	5,610.00 1,571.75	6,446.26 2,811.17	(-)56.39	(+)78.86
योग		**1,22,700.00** **1,20,121.86**	**1,40,176.00** **1,22,825.83**	**1,66,021.00** **1,19,897.30**	**1,86,345.00** **1,47,367.74**	**2,20,655.00** **1,74,087.15**	**(-)21.10**	(+)**18.13**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे और उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व और प्राप्तियों के विवरण के अनुसार बजट अनुमान

वर्ष 2022-23 में कर राजस्व के घटकवार विवरण को **चार्ट-1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट-1.2

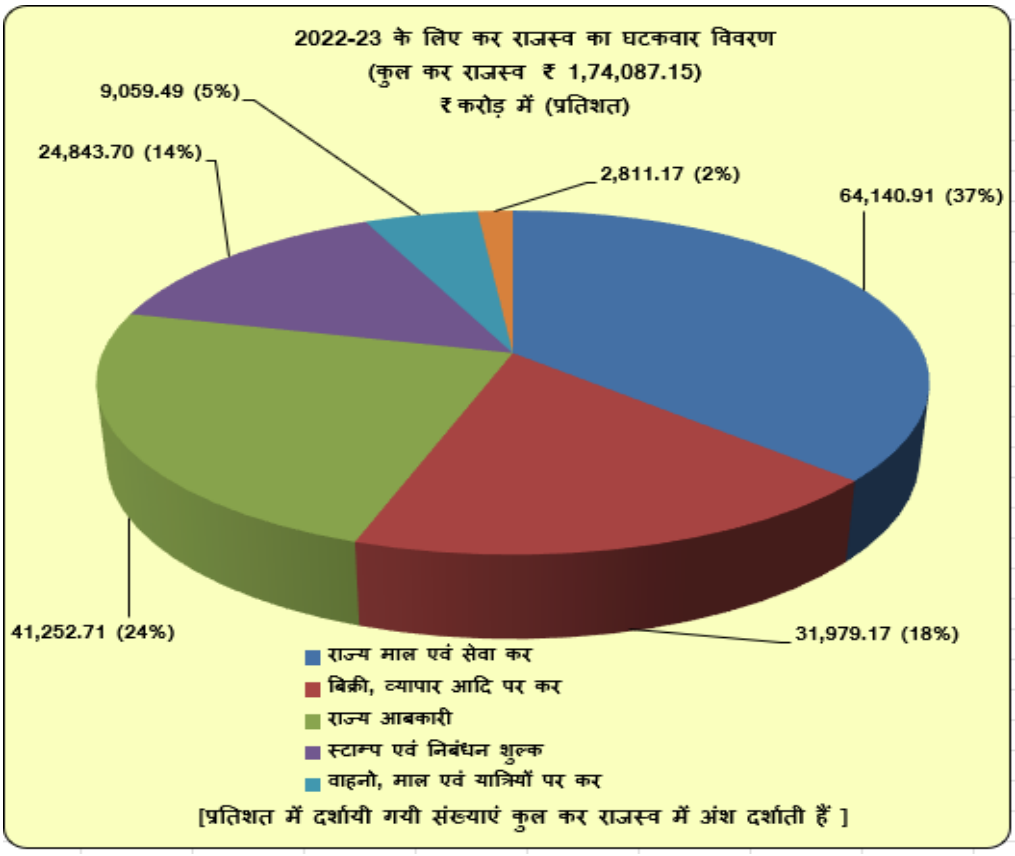

[3] इसमें निम्नलिखित प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) सम्मिलित हैंः विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू-राजस्व, होटल प्राप्ति कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क आदि।

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2022-23 की अवधि में वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2022-23 की अवधि में स्वयं के कर राजस्व में कुल 18.13 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः 'राज्य माल एवं सेवा कर' (₹ 9,546.80 करोड़), 'राज्य आबकारी' (₹ 4,933.08 करोड़), 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर' (₹ 4,920.99 करोड़), 'स्टाम्प एवं निबन्धन फीस' (₹ 4,795.45 करोड़) एवं 'वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर' (₹ 1,283.67 करोड़) की वृद्धि के कारण थी।
- विभाग द्वारा अवगत कराया गया (फरवरी 2025) कि माल एवं सेवा कर एक उपभोग आधारित कर है, और यह तब बढ़ता है जब राज्य में वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग बढ़ता है। वर्ष 2021-22 के प्रथम दो महीनों में, कोविड-19 के प्रभाव के कारण माल एवं सेवा कर में संग्रह कम था। अग्रेतर, वर्ष 2022-23 की अवधि में विभाग द्वारा किये गये सुधार एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली का उपयोग किये जाने के कारण इसमें वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 में माल एवं सेवा कर राजस्व में वृद्धि के कारणों में से एक कारण, वर्ष 2022-23 में माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति योजना जून 2022 में समाप्त हो जाने के उपरान्त, केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा माल एवं सेवा कर परिषद में माल एवं सेवा कर की देयता के सरलीकरण हेतु किये गये प्रयास हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 में राजस्व का बकाया भी प्राप्त हुआ था।
- वर्ष 2022-23 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर में ₹ 4,920.99 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण क्रमशः राज्य बिक्री कर अधिनियम (₹ 2,780.62 करोड़) एवं मूल्य वर्धित कर (₹ 2,747.72 करोड) के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थी।
- विभाग द्वारा अवगत कराया गया (फरवरी 2025) कि राज्य आबकारी में वृद्धि विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप एवं प्रीमियम फुटकर विक्रेताओं पर न्यूनतम गारण्टीकृत राजस्व के निर्धारण के कारण हुई थी। इसके अतिरिक्त, आसवानियों में क्षमता विस्तार एवं नई आसवानियों/माइक्रो-ब्रेवरी की स्थापना के कारण, राज्य में एथेनाल एवं पेय मदिरा के उत्पादन में वृद्धि हुई जिससे आबकारी राजस्व में वृद्धि हुई है।
- विभाग द्वारा अवगत कराया गया (फरवरी 2025) कि राजस्व शीर्ष "स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क" के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि वृहद मात्रा में भूमि अधिग्रहण के कारण अधिक संख्या में पंजीकरण का होना एवं 'दान विलेख योजना' के कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन दर-सूची में बढ़ोत्तरी के कारण हुई थी।
- विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2021-22 में वाहन की बिक्री में कमी, परिवहन वाहनों के संचरण पर प्रतिबंध एवं फिटनेस प्रमाण पत्र,

वाहनों के परमिट तथा ड्राइविंग लाइसेंस की वैद्यता में विस्तार के कारण प्राप्तियाँ प्रभावित हुईं। तथापि, वर्ष 2022-23 में कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा जिसके फलस्वरूप परिवहन एवं गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि, फिटनेस प्रमाण-पत्र, वाहनों के परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण के कारण वर्ष 2022-23 में प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

1.2.3 वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में वसूले गये करेत्तर राजस्व का विवरण **तालिका-1.3** में प्रदर्शित है।

तालिका-1.3
करेत्तर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**राजस्व शीर्ष**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**वर्ष 2022-23 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की सापेक्षिक प्रतिशतता**	
		बजट अनुमान वास्तविक	**बजट अनुमान वास्तविक**	**बजट अनुमान वास्तविक**	**बजट अनुमान वास्तविक**	**बजट अनुमान वास्तविक**	**2022-23 का बजट अनुमान**	**2021-22 का वास्तविक**
1	ब्याज प्राप्तियाँ	843.60 1,712.44	1,200.00 1,469.44	2,100.00 1,115.55	2,100.00 1,249.77	2,100.00 1,259.39	(-)40.03	(+)0.77
2	अ-लौह खनन तथा धातु-कर्म उद्योग	4,000.00 3,165.44	4,400.00 2,180.93	4,000.00 3,112.74	4,500.00 2,655.48	4,860.00 3,351.58	(-)31.04	(+)26.21
3	उर्जा	5,700.00 5,735.40	4,175.00 1,044.14	3,537.00 1,308.99	3,749.00 1,768.50	512.73 964.52	(+)88.11	(-)45.46
4	मध्यम सिंचाई	988.73 777.98	1,000.00 872.42	1,060.00 1,014.95	1,102.00 1,032.77	1,146.00 1,146.40	(+)0.03	(+)11.00
5	सड़क एवं सेतु	950.00 932.13	1,000.00 706.81	1,560.00 997.34	6,654.00 640.27	7,053.00 855.12	(-)87.88	(+)33.56
6	श्रम एवं रोजगार	75.00 75.28	79.50 67.53	85.00 54.15	90.10 95.29	95.51 820.59	(+)759.17	(+)761.15
7	अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ[4]	16,264.33 17,702.04	18,778.46 75,363.81	18,836.93 4,242.43	7,226.57 3,993.89	7,639.24 5,091.86	(-)33.35	(+)27.49
योग		**28,821.66 30,100.71**	**30,632.96 81,705.08**	**31,178.93 11,846.15**	**25,421.67 11,435.97**	**23,406.48 13,489.46**	**(-)42.37**	(+)**17.96**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे और उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व और प्राप्तियों के विवरण के अनुसार बजट अनुमान

वर्ष 2022-23 में करेत्तर राजस्व का घटकवार विवरण **चार्ट-1.3** में प्रदर्शित है।

[4] अन्य करेत्तर प्राप्तियों में निम्नलिखित प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व का पाँच प्रतिशत से कम) सम्मिलित हैंः
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति, पुलिस, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अन्तर्गत योगदान एवं वसूली, विविध सामान्य सेवाएं, हाउसिंग, लोक निर्माण, स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, ग्राम एवं लघु उद्योग, वानिकी एवं वन्य जीवन, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, शहरी विकास आदि।

चार्ट-1.3

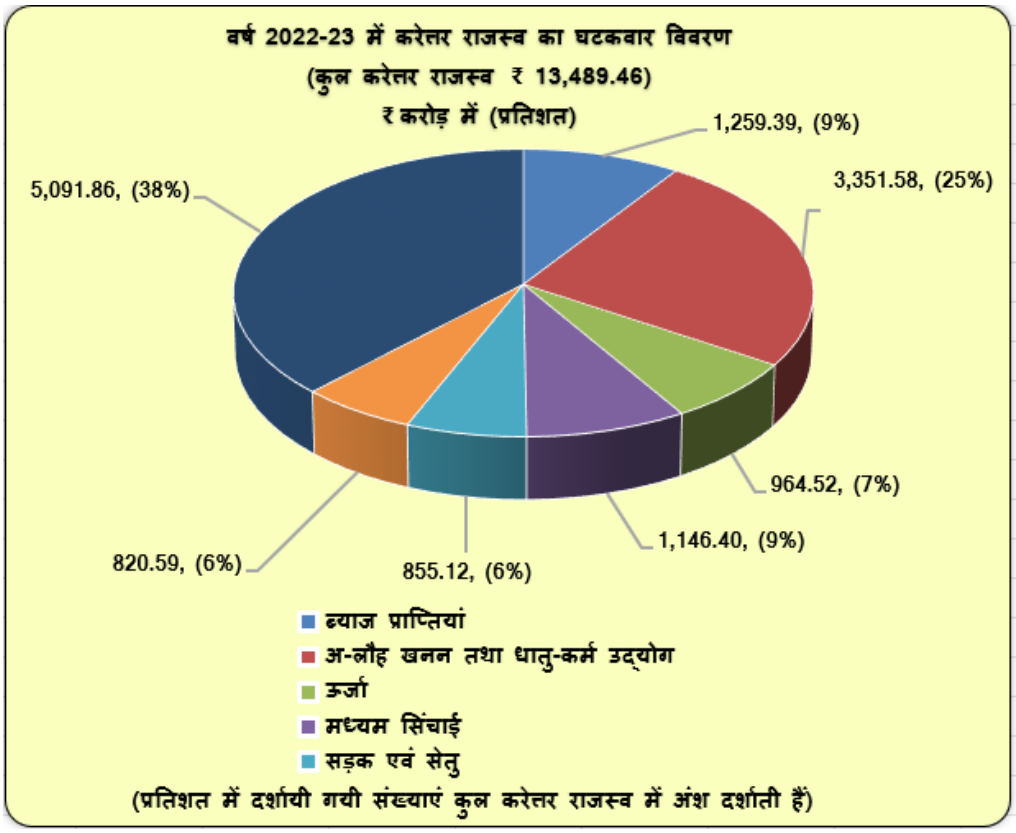

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2021-22 के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में करेत्तर प्राप्तियों में सम्मिलित रूप में 17.96 प्रतिशत धनराशि ₹ 2,053.49 करोड़ की वृद्धि हुई, जो कि मुख्य रूप से शीर्ष 'अ-लौह खनन एवं धातु-कर्म उद्योग' के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति (₹ 696.10 करोड़), 'सड़क एवं सेतु' शीर्ष के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति (₹ 214.85 करोड़), 'श्रम एवं रोजगार' शीर्ष के अन्तर्गत (₹ 725.30 करोड़), एवं 'अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ' शीर्ष अन्तर्गत अधिक प्राप्ति (₹ 1,593.40 करोड़) के कारण थी। यद्यपि, 'उर्जा' शीर्ष के अन्तर्गत (₹ 803.98 करोड़) कम प्राप्ति थी।
- 'अ-लौह खनन एवं धातु-कर्म उद्योग' के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः लघु शीर्ष-102 'खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रायल्टी' (₹ 369.94 करोड़), लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियाँ' के अन्तर्गत (₹ 345.19 करोड़) अधिक प्राप्ति एवं लघु शीर्ष-900 'प्रतिदाय' के अन्तर्गत (₹ 18.85 करोड़) अधिक प्रतिदाय के कारण हुई।
- 'सड़क एवं सेतु' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः लघु शीर्ष-102 'सड़कों पर पथकर' (₹ 14.50 करोड़) एवं लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियाँ' (₹ 198.86 करोड़) के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

- 'श्रम एवं रोजगार' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः लघु शीर्ष-800 'अन्य प्राप्तियाँ' के अन्तर्गत (₹ 716.15 करोड़) अधिक प्राप्तियों के कारण थी।
- वर्ष 2022-23 में, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन), आईपीडीएस एवं सौभाग्य योजना (घरेलू एवं अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे के कार्य) तथा पुर्नोत्थान योजना में भारत सरकार से प्राप्य/अनुमानित अनुदान की राशि से अधिक धनराशि निर्गत होने के कारण 'उर्जा' शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों के सापेक्ष 88.11 प्रतिशत बढ़ गईं, जो कि गत वर्ष एवं सम्बन्धित वर्ष का शेष था। यद्यपि, वर्ष 2022-23 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन), आईपीडीएस एवं सौभाग्य योजना (घरेलू एवं अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा कार्य) को समाप्त करने के कारण, गत वर्ष के वास्तविक आँकड़ों के सापेक्ष 45.46 प्रतिशत की कमी आई है।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में वर्ष 2022-23 की अवधि में राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व के मध्य व्यापक भिन्नता पायी गयी (सन्दर्भ तालिका 1.2 एवं 1.3) जो इंगित करता है कि बजट अनुमानों को यर्थाथ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

संस्तुति:

वित्त विभाग को अपने बजट अनुमानों को और अधिक यर्थाथवादी बनाने हेतु अपने बजट तैयार करने की विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिए।

1.3 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों का बकाया 31 मार्च 2023 तक ₹ 36,241.90 करोड़ था, जिसमें से ₹ 15,293.15 करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक अवधि का था, जैसा कि **तालिका-1.4** में वर्णित है।

तालिका 1.4
राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 तक बकाये की कुल धनराशि	31 मार्च 2023 तक पाँच वर्ष से अधिक बकाये की धनराशि	स्तर जिन पर बकाये लम्बित थे
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर (राज्य माल एवं सेवा कर के अतिरिक्त)	35,081.65	14,910.71	₹ 35,081.65 करोड़ में से, ₹ 9,041.99 करोड़ की माँग को भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था; ₹ 3,672.98 करोड़ के वसूली प्रमाणपत्र अन्य राज्यों को भेजे गये थे; ₹ 6,845.23 करोड़ की वसूलियाँ माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की गयी थी; ₹ 2,602.61 करोड़

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 तक बकाये की कुल धनराशि	31 मार्च 2023 तक पाँच वर्ष से अधिक बकाये की धनराशि	स्तर जिन पर बकाये लम्बित थे
				की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया थी; ₹ 8,438.38 करोड़ की वसूली की माँग बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी; एवं ₹ 196.74 करोड़ ट्रान्सपोर्टरों पर बकाया था। शेष ₹ 4,283.72 करोड़ की धनराशि हेतु विभाग में विशिष्ट कार्यवाही प्रचलित थी।
2.	राज्य आबकारी	50.17	43.43	₹ 50.17 करोड़ में से, ₹ 16.24 करोड़ की माँग को भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था; ₹ 12.52 करोड़ की वसूलियाँ माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की गयी थी; ₹ 7.96 करोड़ की वसूली की माँग बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी। शेष ₹ 13.45 करोड़ की धनराशि हेतु विभाग में विशिष्ट कार्यवाही प्रचलित थी।
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	434.51	72.34	₹ 434.51 करोड़ में से, ₹ 129.47 करोड़ की माँग को भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था; ₹ 87.17 करोड़ की वसूलियाँ माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की गयी थी; ₹ 16.25 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया थी। शेष ₹ 201.62 करोड़ की धनराशि हेतु विभाग में विशिष्ट कार्यवाही प्रचलित थी।
4.	वाहनों पर कर	675.57	266.67	₹ 675.57 करोड़ में से, ₹ 349.45 करोड़ की माँग को भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था; ₹ 2.72 करोड़ की वसूली की माँग बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी। शेष ₹ 323.40 करोड़ की धनराशि हेतु विभाग में विशिष्ट कार्यवाही प्रचलित थी।
5.	अ-लौह खनन एवं धातु-कर्म उद्योग	बारम्बार अनुरोध के पश्चात् भी विभाग द्वारा सूचना प्रदान नहीं की गयी।		
योग		**36,241.90**	**15,293.15**	

स्रोतः विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

31 मार्च 2023 तक के बकाया राजस्व का विवरण **चार्ट-1.4** में प्रदर्शित है।

चार्ट-1.4

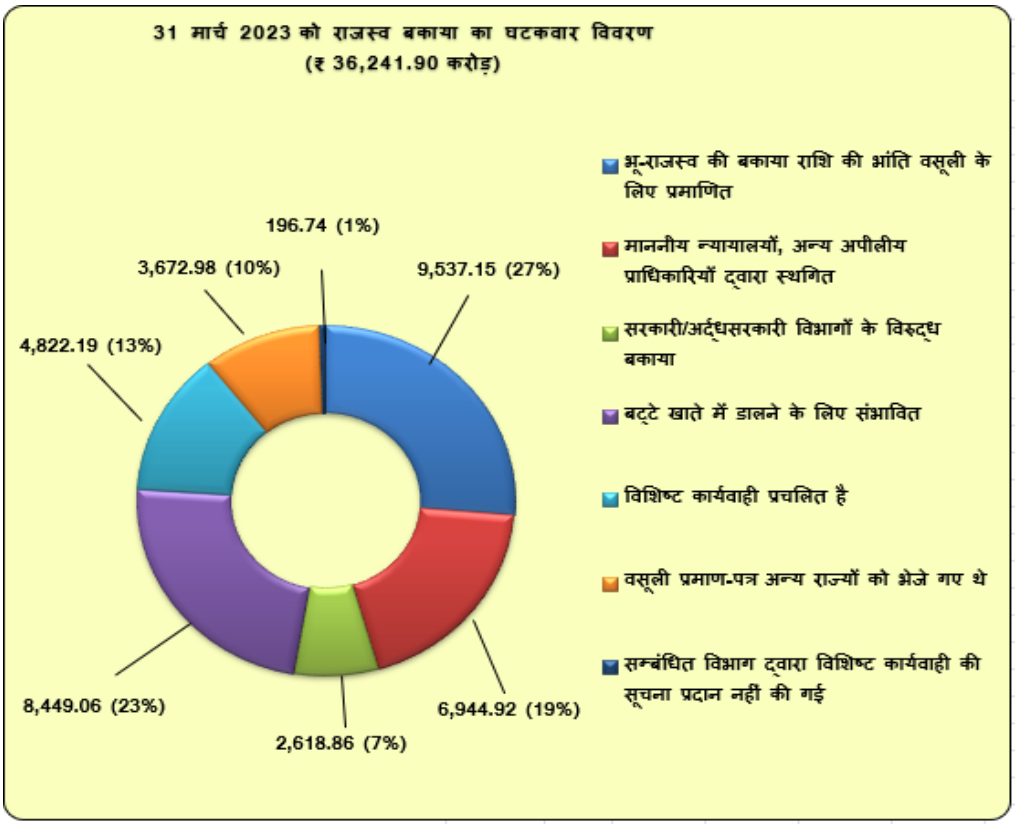

कुल बकाया ₹ 36,241.90 करोड़ की धनराशि में से, ₹ 9,537.15 करोड़ को भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया था, ₹ 6,944.92 करोड़ माननीय न्यायालयों/अन्य अपीलीय अधिकारियों द्वारा स्थगित किया गया था, ₹ 2,618.86 करोड़ सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया थी, ₹ 8,449.06 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित था, ₹ 4,822.19 करोड़ के लिए राज्य कर विभाग, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग एवं परिवहन विभाग में विशिष्ट कार्यवाही प्रचलित थी तथा अन्य राज्यों को ₹ 3,672.98 करोड़ के वसूली प्रमाणपत्र निर्गत किये गये थे जबकि शेष ₹ 196.74 करोड़ (ट्रान्सपोर्टरों से देय राशि) के सम्बन्ध में की गयी विशिष्ट कार्यवाही की सूचना राज्य कर विभाग द्वारा नहीं दी गयी।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन-सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लेखित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं (नि०ले०प०) पर, चाहे ऐसे प्रकरण लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षण हेतु लिये गए हों अथवा न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग द्वारा जून 1987 में निर्देश निर्गत किये गए थे। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण **तालिका-1.5** में दिया गया है।

तालिका-1.5

क्र. सं.	**लेखापरीक्षाा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष**	**विधानमण्डल में प्रस्तुत होने की तिथि**	**प्रतिवेदन में प्रस्तरों एवं नि०ले०प० की संख्या**	**प्रस्तरों एवं नि०ले०प० की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई**	**प्रस्तरों एवं नि०ले०प० की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई**
1	31 मार्च 2016	18 मई 2017	25 + 1 नि०ले०प०	00	25 + 1 नि०ले०प०
2	31 मार्च 2017	19 जुलाई 2019	15	00	15
3	31 मार्च 2018 (राज्य आबकारी पर पृथक नि०ले०प०)	19 जुलाई 2019	08	08	00
4	31 मार्च 2018	24 फरवरी 2020	17	03	14
5	31 मार्च 2019	18 अगस्त 2021	23	12	11
6	31 मार्च 2020	17 दिसम्बर 2021	18	06	12
7	31 मार्च 2021 (परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)	22 फरवरी 2023	1 नि०ले०प०	00	1 नि०ले०प०
8	31 मार्च 2021	08 अगस्त 2023	14	02	12
9	31 मार्च 2022	01 अगस्त 2024	08	00	08
योग			**128 + 2 नि०ले०प०**	**31**	**97[5]+ 2 नि०ले०प०[6]**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16, 2016-17 के लिए राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिये कोई व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं (फरवरी 2025 तक) हुई थी, जिन्हें राज्य विधानमण्डल के समक्ष क्रमशः मई 2017, जुलाई 2019, फरवरी 2023 एवं अगस्त 2024 में रखा गया था।

अग्रेतर, वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि में, लोक लेखा समिति द्वारा 18 राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 473 प्रस्तरों में से 154 प्रस्तरों पर चर्चा की गयी। विवरण **तालिका-1.6** में दिया गया है।

[5] राज्य कर (24 प्रस्तर), राज्य आबकारी (10 प्रस्तर), परिवहन (19 प्रस्तर), स्टाम्प एवं निबन्धन (11 प्रस्तर), भूतत्व एवं खनिकर्म (32 प्रस्तर) एवं मनोरंजन कर (01 प्रस्तर)।

[6] परिवहन विभाग (02)।

तालिका-1.6

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष के दौरान चर्चा किये गये प्रतिवेदनों की संख्या	प्रतिवेदनों में प्रस्तरों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान चर्चा किये गये प्रस्तरों की संख्या
1	2018-19	13	384	74
2	2019-20	09	273	33
3	2020-21	01	26	03
4	2021-22	03	118	26
5	2022-23	02	34	06
6	2023-24	05	83	26
योग		**18**[7]	**473**[8]	**154**[9]

वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा किया जाना शेष (फरवरी 2025 तक) है।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

शासन/विभागों एवं कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को, उनके उच्च अधिकारियों को एक प्रति के साथ सुधारात्मक कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत की जाती है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं शासन के संज्ञान में लायी जाती हैं।

राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित सितम्बर 2023 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि मार्च 2024 के अन्त तक 13,461 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 50,202 प्रस्तर लम्बित थे। विभाग-वार विवरण **तालिका-1.7** में दिया गया है।

---

[7] एक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर पृथक-पृथक वर्षों में कई बार चर्चा की गयी थी, इसलिये इसे एक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन माना गया है, जिसके आधार पर वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि में कुल 18 प्रतिवेदनों पर चर्चा की गयी है।

[8] इसी प्रकार, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 473 प्रस्तर थे, जिनमें से 154 प्रस्तरों पर वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि में चर्चा की गयी है।

[9] इसी प्रकार, वर्ष 2000-01 (02), 2001-02 (23), 2002-03 (21), 2003-04 (03), 2004-05 (05), 2005-06 (02), 2006-07 (03), 2007-08 (04), 2008-09 (04), 2009-10 (01), 2010-11 (02), 2011-12 (29), 2012-13 (19), 2013-14 (17), 2018-19 (03), स्टैंड अलोन प्रतिवेदन (08), 2019-20 (06) एवं 2020-21 (02) से सम्बन्धित 154 प्रस्तरों पर चर्चा की गयी है।

तालिका-1.7

निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि०प्रति० की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या
1	राज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,362	27,273
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी	1,264	2,373
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,448	8,060
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	4,057	10,704
5	भूतत्व एवं खनिकर्म	अ-लौह खनन एवं धातु-कर्म उद्योग	330	1,792
योग			**13,461**	**50,202**

निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर कार्यालयाध्यक्षों से प्रथम उत्तर प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2023-24 की अवधि में निर्गत किये गये कुल 211 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से, लेखापरीक्षा को (मई 2025 तक) 21 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर कार्यालयाध्यक्षों से छः सप्ताह के बाद प्राप्त हुए। वर्ष 2023-24 में निर्गत शेष 190 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रकरण में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुए। निरीक्षण प्रतिवेदनों का इतनी बड़ी संख्या में लम्बित होना एवं विभागों से प्रथम उत्तर प्राप्त न होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निरीक्षित इकाईयों के प्रमुख, प्रतिवेदित किये गये लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संज्ञान लेने एवं इस सम्बन्ध में कोई सुधारात्मक कदम उठाने में असफल रहे हैं। समान प्रकृति की अनियमितताएं वर्ष-प्रति-वर्ष प्रतिवेदित की जा रही हैं, फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति/सुधारात्मक कार्यवाही के कोई साक्ष्य ज़मीनी स्तर पर परिलक्षित नहीं हैं। इससे लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता प्रतिकूलतः प्रभावित हुई।

संस्तुति:

विभागीय अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदनों पर त्वरित प्रतिक्रिया दें एवं सुधारात्मक कार्यवाही करें, यह सुनिश्चित करने हेतु, राज्य सरकार को एक तन्त्र विकसित करना चाहिए।

1.6 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष में सम्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2023-24 में लेखापरीक्षा द्वारा राज्य सरकार के पाँच विभागों[10] को समाविष्ट करते हुए माल एवं सेवा कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, खनन प्राप्तियाँ, राज्य आबकारी एवं वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर से सम्बन्धित 1,490 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 162 (10.87 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। वर्ष 2022-23 में इन पाँच विभागों में, ₹ 1,71,275.98 करोड़ का राजस्व संग्रहीत किया गया, जिसमें से 162

[10] राज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा ₹ 46,153.44 करोड़ का राजस्व संग्रहीत किया गया। 162 लेखापरीक्षित इकाईयों में, टर्नओवर/कर भुगतान के आधार पर अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी, जिससे 1,40,892 मामलों (3,63,742 नमूना जाँच किये गये मामलों में से) में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि से सम्बन्धित कुल मिलाकर ₹ 1,906.75 करोड़ के मामले पाये गये जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा विभागों को प्रतिवेदित किया गया था। सम्बन्धित विभागों द्वारा (अप्रैल 2023 एवं नवम्बर 2024 के मध्य) 84 मामलों में (विगत वर्षों में इंगित किये गये प्रकरणों सहित) ₹ 1.49 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया एवं 84 मामलों में ₹ 1.49 की वसूली किये जाने की सूचना दी गयी।

संस्तुति:

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभागों द्वारा स्वीकृत सभी अवनिर्धारण/कम आरोपण की विभागों द्वारा वसूली सुनिश्चित किये जाने हेतु, राज्य सरकार द्वारा एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

1.7 इस प्रतिवेदन के अध्याय-II का आच्छादन

इस प्रतिवेदन के अध्याय-II में 'उत्तर प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आईएफएमएस) के कार्यान्वयन पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा एवं वर्ष के दौरान सम्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा एवं विगत वर्षों के ऐसे प्रस्तर जो पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, के छः प्रस्तर सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 26.90 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा ₹ 1.53 करोड़ की धनराशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया गया एवं ₹ 0.30 करोड़ की धनराशि की वसूली किये जाने की सूचना दी गयी। अन्य विभागों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए (मई 2025)।

संस्तुति:

इंगित की गयी त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। इसलिये शासन/विभाग द्वारा सभी इकाईयों की गहन जाँच की जा सकती है कि क्या ऐसी त्रुटियाँ/चूकें अन्यत्र भी घटित हुई हैं, यदि हाँ, तो उन्हें सुधारा जाए एवं ऐसी त्रुटियों/चूकों से बचाव हेतु एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।